उत्तर प्रदेश :

"रामराज्य" में पुलिस हत्यारी और थाने वधस्थल बन चुके हैं

सुनील चौधरी

भाजपाई "रामराज्य" में उत्तर प्रदेश की पुलिस जितनी भयमुक्त हुई है उतनी पहले कभी नहीं थी। फर्जी मुठभेड़ें, हिरासत में मौतें, थानों में बलात्कार, जनान्दोलनों पर लाठियां-गोलियां तो 1947 के बाद बनी सभी सरकारों के राजकाज में चलती रही हैं, लेकिन भाजपाई राज में सारे रिकार्ड पीछे छूटते जा रहे हैं। सबसे ताजा 'रिपोर्टेड' घटना गोरखपुर जिले में पिछली एक फरवरी को घटी। बेकसूर और बिना किसी आपराधिक रिकार्ड वाले 24 वर्षीय राजेश शर्मा पर शाहपुर थाने की पुलिस ने 'थर्ड डिग्री' का बेमिसाल कमाल दिखाते हुए मार डाला। राजेश शर्मा की थाने में बर्बर पिटाई की गयी। कपड़े उतारकर बिजली के झटके दिये गये। यहां तक कि थानेदार संजय सिंह ने उसके मुंह पर पेशाब किया। हत्या करने के बाद पुलिस ने उसका अन्तिम संस्कार भी कर दिया।

पांच दिन तक हत्यारा थानेदार खुलेआम घूमता रहा, थाने की जी डी में हेराफेरी करता रहा, लेकिन उसके खिलाफ थाने में रिपोर्ट तक नहीं दर्ज की गयी। कारण कि उस "पराक्रमी" थानेदार की सत्ताधारी पार्टी में अच्छी पैठ थी। उसके शुभचिन्तक उसे बचाने के लिए एड़ी-चोटी का पसीना एक करते रहे।

लेकिन, आखिरकार जब महानगर की जनता का आक्रोश सड़कों पर फूट पड़ा तो मजबूर प्रशासन को एफ.आई.आर. लिखने और थानेदार सहित उसके तीन सहयोगियों पर हत्या का मुकदमा कायम करने पर बाध्य होना पड़ा।

इस जघन्य घटना पर गोरखपुर की आम जनता का आक्रोश इतना जबर्दस्त था कि 7 फरवरी को मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह के गोरखपुर आगमन पर ऐतिहासिक बन्दी हुई और समूचा महानगर विरोधस्वरूप सड़कों पर निकल आया। घटना के विरोध में विपक्षी चुनावी पार्टियों द्वारा बन्द का आह्वान जरूर किा गया था, लेकिन बन्दी की सफलता जबर्दस्त जनाक्रोश का नतीजा थी। जगह-जगह विरोध सभाएं हुईं। जुलूस निकले। महानगर में सक्रिय छात्रों के क्रान्तिकारी संगठन दिशा छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने भी जुलूस निकालकर विरोध प्रकट किया और हत्यारों को गिरफ्तार कर घटना की न्यायिक जांच की मांग की।

राजेश शर्मा हत्याकांड के विरोध में गोरखपुर बंद के दौरान जुलूस निकालते हुए दिशा छात्र संगठन के कार्यकर्ता

घटना के दस दिन बाद पुलिस फरार थानेदार को प्रतापगढ़ जिले में गिरफ्तार कर सकी। शेष अभियुक्तों पर टिप्पणी लिखे जाने तक पुलिस हाथ नहीं डाल सकी थी।

इस घटना के सिर्फ तीन दिन बाद उन्नाव के सफीपुर कस्बे में पुलिस ने ग्यारह माह की रेखा को पैरों से रौंदकर मार डाला। यही नहीं, पुलिस ने रेखा की मां के साथ भी घर में घुसकर बदसुलूकी की और पिता को गिरफ्तार कर ले गयी। पुलिस ने किसी निजी खुन्नस के चलते यह किया। इससे पहले लखनऊ पुलिस की एक और कारस्तानी भी खबरों में आ चुकी थी। विश्वविद्यालय की एक छात्रा अनीता पाण्डेय को इसलिए वाहन चोर बताकर लाकअप में डाल दिया गया क्योंकि उसने पुलिस को पांच सौ रुपये नहीं दिये थे। थाने में उसकी पिटाई भी की गयी थी। बाद में अदालत ने अनीता को निर्दोष करार दे दिया।

इस घटना के एक हफ्ते के भीतर ही राजधानी लखनऊ की ही ठाकुरगंज पुलिस ने एक गर्भवती महिला को इतना मारा कि बच्चा पेट में ही मर गया। पुलिस को इस गर्भवती महिला के भाई की तलाश थी। पुलिस ही नहीं समूचे प्रशासनिक अमले के भीतर जैसे पुलिसिया आत्माएं प्रवेश कर गयी हैं। फैजाबाद जिले के एक राजस्व अधिकारी ने सोहावल तहसील के शिवप्रसाद वर्मा को पकड़ा और लाकर में डालकर जला दिया। वर्मा गम्भीर रूप से घायल हुए। पुलिसिया वहशीपन की एक और घटना ने पिछले दिनों हिलाकर रख दिया था। चर्चित ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त की शहर पर पुलिस ने एक विवाहिता के साथ थाने में लगातार तीन दिन तक बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या कर दी। बाद में महिला के पति ने भी अपमान, बेबसी और सदमे की हालत में आत्महत्या कर ली थी।

बीते साल में उत्तर प्रदेश में कुल 200 से अधिक मौतें हिरासत में हो चुकी हैं। कुछ गैर सरकारी रिपोर्टों में यह संख्या 350 से भी ज्यादा बतायी गयी है, 200 तो सिर्फ 'रिपोर्टेड' मौतें हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के कामकाज का आलम यह है कि बीते साल में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 50 हजार से ज्यादा मामले दर्ज किये हैं।

उत्तर प्रदेश पुलिस के कामकाज का यह रिकार्ड चीख-चीख कर कह रहा है कि भाजपायी "रामराज" में अंधेरा कायम है।■